खण्ड-12 संख्या-12

बिहार विधान सभा वाद वृत्त

सोमवार, तिथि 13 जुलाई, 1998 ई०

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा

का

कार्य-विवरण

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में

सोमवार, तिथि 13 जुलाई, 1998 ई० को पूर्वाह्न 10:30 बजे

अध्यक्ष, श्री देवनारायण यादव के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

(1) क्या यह बात सही है कि सुपौल जिला के त्रिवेणी गंज अनुमंडल में आरक्षी उपाधीक्षक के लिए आवास एवं कार्यालय भवन नहीं हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि आरक्षी उपाधीक्षक को कार्यालय भवन के अभाव में कार्य सम्पादित करने में कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में आरक्षी उपाधीक्षक के कार्यालयच एवं आवासीय भवन के निर्माण की राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती हैं, नहीं तो क्यों ?

भवनों का निर्माण

१२६५. **श्री संजय कुमार** - क्या मंत्री, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि जुलाई, 1994 में गठित शेखपुरा जिला में उप-विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्त्ता स्तर के अन्य पदाधिकारियों के लिए अभी तक कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण नहीं हुआ है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक उप-विकास आयुक्त एवं अपर समाहर्ता स्तर के सभी पदाधिकारियों के लिए कार्यालय भवन एवं आवासीय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है ?

बकाए का भुगतान

१२६६. **श्री पशुपति नाथ सिंह** - क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि --क्या यह बात सही है कि सुपर फास्फेट खद कारखाना सिन्दरी, धनबाद के कर्मचारियों कों पिछले 70 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया है, यदि हां, तो क्या सरकार कर्मचारियों के वकाये वेतन का भुगतान करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पिपरबार में थाना रखना

१२६७. **श्री लोकनाथ महतो** - क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह